



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय  
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.No. 22-10/2021-INC 608

Dated \_\_\_\_\_

11 8 MAY 2022

## NOTIFICATION

Admission criteria/ minimum requirement to be strictly followed by School/Colleges of Nursing while making admissions to various nursing programmes – regarding –

There are instances where the candidates are admitted to nursing programmes without verifying the minimum requirement in terms of qualification/ admission criteria laid down by the Indian Nursing Council for different nursing programmes resulting in deviation from the prescribed norms meant for the uniformity of nursing education. As a result, such qualified candidates may not be able to get reciprocal registration in other States and have to practice within the State where they have qualified.

In order to avoid this situation, the Schools/Colleges of nursing while admitting the candidates are required to adopt strict measures to assess and ensure that the minimum admission requirement is fulfilled in each case of admission.

Lt Col (Dr) Sarvjeet Kaur  
Secretary

To

1. Registrar, All the Universities offering and examining nursing programmes
2. Registrar, All the State Nursing Councils
3. Principal All the Schools/ Colleges of Nursing
4. INC website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत  
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) E-mail: [secy.inc@gov.in](mailto:secy.inc@gov.in)

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

फा. सं. 22-10/2021-आईएनसी

दिनांक: 18/05/2022

## अधिसूचना

विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश मापदंड/न्यूनतम आवश्यकता का स्कूल/कॉलेजों द्वारा सख्ती से पालन किये जाने के संबंध में -

ऐसे उदाहरण हैं जहां उम्मीदवारों को विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता / प्रवेश मापदंड के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता को सत्यापित किए बिना नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नर्सिंग शिक्षा की एकरूपता के लिए निर्धारित मापदंडों में अंतर होता है। नतीजतन, ऐसे अहर्ताप्राप्त उम्मीदवार अन्य राज्यों में पारस्परिक पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और उन्हें उस राज्य के भीतर अभ्यास करना पड़ता है जहां उन्होंने योग्यता प्राप्त की है।

इस स्थिति से बचने के लिए, उम्मीदवारों को प्रवेश देते समय नर्सिंग के स्कूलों/कॉलेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय अपनाने की आवश्यकता है कि प्रवेश के प्रत्येक मामले में न्यूनतम प्रवेश आवश्यकता पूरी की हो।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर

सचिव

## प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. रजिस्ट्रार, नर्सिंग कार्यक्रमों की पेशकश और जांच करने वाले सभी विश्वविद्यालय।
2. रजिस्ट्रार, राज्य नर्सिंग परिषदें
3. प्राचार्य, स्कूल/नर्सिंग कॉलेज।
4. आईएनसी वेबसाइट